

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

क्र:- 99 / 2023

तारीखरजु:- 18.10.23

उनवान:- सरूपी बनाम जयसिंह वगैरे  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

क

फर्द अहकाम

10/23

प्रार्थी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के नोटिस जरिए तहसीलदार टोडाभीम तलब होकर पत्रावली दिनांक 21.11.2023 को पेश हो।

6069-71  
18/10/23

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

11/23

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी सुभाष कुमार मिश्रा  
पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.10.23 को पेश हो।

(सुनीता मीना)

24/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित।  
पुनः नोटिस तलबी पेश करने के लिए प्रार्थी  
वकील को डिग्रेट डी गई। वास्ते तलबी दिनांक  
14.3.24 को पेश हो।

(सुनीता मीना)

14/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी  
नं. 1 का 0 3 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए  
प्रार्थी वकील को डिग्रेट डी गई। वास्ते तलबी  
दिनांक 30.4.24 को पेश हो।

(सुनीता मीना)

30/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वास्ते  
तलबी दिनांक 30.5.24 को पेश हो।

(सुनीता मीना)



लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

5

फर्द अहकाम

5 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी, जयपुर (पुणे)  
पत्रावली नमानुसार दिनांक २३-५-२५  
को पेश हो।

२३  $\frac{4}{25}$  पत्रावली पेश हुई। प्राचीन रूप प्राचीन वकील  
कोई भी उपस्थित नहीं। वार २ छाया/जि दिवस  
गई। इसके उपरान्त भी कोई भी उपस्थित  
नहीं इसलिए प्राचीन वकील का उच्च प्राथमता  
पत्र प्राचीन वकील की ठाडम इच्छित ठाडम  
पेश की खोज/पत्रावली पेश जा रहा है। पत्रावली  
के बाद प्रमाण डोकल नकल से कम कटवाव  
इसल है।